भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2121
सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक)

रोजगार के अवसर

2121. श्री राजन बाबूराव विचारेः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत एक वर्ष के दौरान देश में कुल कितना रोजगार सृजित किया गया है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत छह महीनों के दौरान प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जोकि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत, भारत सरकार, ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए 3 वर्षों की अवधि हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की समापन तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लगातार लाभ मिलता रहेगा।

सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।

प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना के तहत भारत सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए लगभग 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

(घ):प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत पिछले छह महीनों अर्थात् सितम्बर, 2020 से फरवरी, 2021 के दौरान 51187 व्यक्तियों को नामांकित/पंजीकृत किया गया है।

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 08.03.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2121 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(क) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
		2019-20
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	744
2	आंध्र प्रदेश	17536
3	अरुणाचल प्रदेश	1688
4	असम	20824
5	बिहार	17768
6	चंडीगढ़	112
7	छत्तीसगढ	22488
8	दिल्ली	744
9	गोवा	720
10	गुजरात*	31864
11	हरियाणा	16232
12	हिमाचल प्रदेश	9808
13	जम्मू और कश्मीर	42840
14	झारखंड	12352
15	कर्नाटक	29576
16	केरल	19368
17	मध्य प्रदेश	17644
18	महाराष्ट्र**	35232
19	मणिपुर	9384
20	मेघालय	3016
21	मिजोरम	6080
22	नागालैंड	8872
23	ओडिशा	21744
24	पुडुचेरी	512
25	पंजाब	13560
26	राजस्थान	24200
27	सिक्किम	632
28	तमिलनाडु	14376
29	तेलंगाना	17424
30	त्रिपुरा	7696
31	उत्तर प्रदेश	48960
32	उत्तराखंड	14752
33	पश्चिम बंगाल	17776
34	यूटी लद्दाख	
	योग	533224

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

* दमन और दीव सहित

** दादर और नगर हवेली सहित

31.12.2020 को

(ख) पं. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित उम्मीदवारों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा।

डीडीयू-जीकेवाई के तहत वस्तुपरक उपलब्धि

		नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या
क्र.स.	राज्य	वि.व. 2019-20
		नियोजन
1	आंध्र प्रदेश	10795
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	13873
4	बिहार	5861
5	छत्तीसगढ	3842
6	गुजरात	2249
7	हरियाणा	6200
8	हिमाचल प्रदेश	933
9	जम्मू और कश्मीर	1288
10	झारखंड	8235
11	कर्नाटक	7226
12	केरल	8456
13	मध्य प्रदेश	7305
14	महाराष्ट्र	12756
15	मणिपुर	573
16	मेघालय	686
17	मिजोरम	359
18	नागालैंड	403
19	ओडिशा	30595
20	पंजाब	1311
21	राजस्थान	4692
22	सिक्किम	32
23	तमिलनाडु	3324
24	तेलंगाना	6839
25	त्रिपुरा	524
26	उत्तर प्रदेश	7341
27	उत्तराखंड	672
28	पश्चिम बंगाल	3829
	योग	**150199**

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एमजीएनआरईजीए) अधिनियम

पिछले वर्षों में वस्तुपरक उपलब्धि

(लाख में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	2,002
2	अरुणाचल प्रदेश	86
3	असम	624
4	बिहार	1,418
5	छत्तीसगढ	1,362
6	गोवा	0.3
7	गुजरात	354
8	हरियाणा	91
9	हिमाचल प्रदेश	259
10	जम्मू और कश्मीर	314
11	झारखंड	642
12	कर्नाटक	1,119
13	केरल	802
14	लद्दाख	19
15	मध्य प्रदेश	1,931
16	महाराष्ट्र	630
17	मैनपुर	234
18	मेघालय	370
19	मिजोरम	193
20	नागालैंड	138
21	ओडिशा	1,115
22	पंजाब	235
23	राजस्थान	3,289
24	सिक्किम	29
25	तमिलनाडु	2,485
26	तेलंगाना	1,071
27	त्रिपुरा	344
28	उत्तर प्रदेश	2,445
29	उत्तराखंड	206
30	पश्चिम बंगाल	2,723
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
34	लक्षद्वीप	0.04
35	पुडुचेरी	8
	योग	26,542

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

(घ) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत नियोजन का राज्य-वार ब्यौरा

कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों के नियोजन की संख्या

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वि.व 2019-20
1	आंध्र प्रदेश	983
2	अरुणाचल प्रदेश	1
3	असम	1592
4	बिहार	1275
5	छत्तीसगढ	1149
6	गोवा	160
7	गुजरात	4716
8	हरियाणा	1804
9	हिमाचल प्रदेश	214
10	जम्मू और कश्मीर	84
11	झारखंड	2515
13	केरल	2508
14	मध्य प्रदेश	5599
15	महाराष्ट्र	34832
16	मणिपुर	87
17	मेघालय	17
18	मिजोरम	838
19	नागालैंड	0
20	ओडिशा	0
21	पंजाब	2398
22	राजस्थान	1857
24	तमिलनाडु	322
25	तेलंगाना	1876
26	त्रिपुरा	6
27	उत्तर प्रदेश	2456
28	उत्तराखंड	77
29	पश्चिम बंगाल	3649
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0
31	चंडीगढ़	488
	योग	71503

स्रोतः आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय